

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 38

प्रत्यक्ष कर

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	...	4092.29	4092.29	...	4832.36	4832.36	...	4610.00	4610.00	...	5187.00	5187.00
पूँजी	...	39.14	39.14	...	574.20	574.20	...	140.00	140.00	...	200.00	200.00
जोड़	...	4131.43	4131.43	...	5406.56	5406.56	...	4750.00	4750.00	...	5387.00	5387.00
ब.अ. 2016-2017												
आय और व्यय पर करों का संग्रहण												
1. आय कर का संग्रहण	2020	4383.02	4383.02
2. निगम कर का संग्रहण	2020	674.31	674.31
जोड़-आय और व्यय पर करों का संग्रहण		5057.33	5057.33
धन, प्रतिभूति संबंधी लेन-देन पर करों तथा अन्य करों का संग्रहण												
3. धन कर का संग्रहण	2031	12.97	12.97
4. प्रतिभूति लेनदेन कर	2031	25.93	25.93
5. अन्य करों का संग्रहण	2031	90.77	90.77
6. तैयार-निर्मित आवास की खरीद	
6.01 कार्यालय भवन	4059	148.00	148.00
6.02 आवासीय भवन	4216	52.00	52.00
जोड़- तैयार-निर्मित आवास की खरीद		200.00	200.00
7. आय कर अधिनियम के अंतर्गत अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण	
7.01 सकल व्यय	4075	2.00	2.00
7.02 घटाइए-विक्री प्राप्ति	4075	-2.00	-2.00
कुल	
जोड़-धन, प्रतिभूति संबंधी लेन-देन पर करों तथा अन्य करों का संग्रहण		329.67	329.67
सं.अ. 2015-2016												
आय और व्यय पर करों का संग्रहण												
8. आय कर का संग्रहण	2020	...	3457.58	3457.58	...	4083.35	4083.35	...	3895.45	3895.45
9. निगम कर का संग्रहण	2020	...	533.14	533.14	...	628.19	628.19	...	599.30	599.30
जोड़-आय और व्यय पर करों का संग्रहण		...	3990.72	3990.72	...	4711.54	4711.54	...	4494.75	4494.75
धन, प्रतिभूति संबंधी लेन-देन पर करों तथा अन्य करों का संग्रहण												

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
10.	धन कर का संग्रहण	2031	...	10.25	10.25	...	12.08	12.08	...	11.53	11.53
11.	प्रतिभूति लेनदेन कर	2031	...	20.51	20.51	...	24.17	24.17	...	23.05	23.05
12.	अन्य करों का संग्रहण	2031	...	71.77	71.77	...	84.57	84.57	...	80.67	80.67
13.	तैयार-निर्मित आवास की खरीद													
	13.01 कार्यालय भवन	4059	...	42.38	42.38	...	323.72	323.72	...	84.00	84.00
	13.02 आवासीय भवन	4216	...	26.53	26.53	...	250.48	250.48	...	56.00	56.00
	जोड़- तैयार-निर्मित आवास की खरीद		...	68.91	68.91	...	574.20	574.20	...	140.00	140.00
14.	आय कर अधिनियम के अंतर्गत अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण													
	14.01 सकल व्यय	4075	...	0.97	0.97	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
	14.02 घटाइए-विक्री प्राप्तियां	4075	...	-30.74	-30.74	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00
	कुल		...	-29.77	-29.77
	जोड़-धन, प्रतिभूति संबंधी लेन-देन पर करों तथा अन्य करों का संग्रहण		...	141.67	141.67	...	695.02	695.02	...	255.25	255.25
15.	वास्तविक वसूलियां	2020	...	-0.96	-0.96
	कुल जोड़		...	4131.43	4131.43	...	5406.56	5406.56	...	4750.00	4750.00	...	5387.00	5387.00

1-5. यह मांग आयकर विभाग की आवश्यकताओं के लिए है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये व संग्रहित किये जाने वाले सभी प्रत्यक्ष करों, नामतः आय पर कर (निगमित क्षेत्र की आय सहित), धन कर, प्रतिभूति संव्यवहार कर आदि के लिए प्रबंध करता है। विभाग में व्यापक अपवंचन वाले मामलों की जांच, निरीक्षण, अनुसंधान, सांख्यिकी तथा प्रकाशन के लिए अलग-अलग निदेशालय भी हैं।

6. यह प्रावधान प्रत्यक्ष कर संगठन के संदर्भ में बने-बनाए कार्यालय तथा आवासीय भवनों की खरीद से संबंधित है।

7. यह प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXC में यथा परिकल्पित केन्द्र सरकार द्वारा अचल संपत्तियों की अग्रक्रय खरीद से संबंधित है।